न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 42/2017

अपीलांट–
करनाराम पुत्र हुकमाराम जाति
बिश्नोई निवासी गडरा तहसील
धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार गुड़ामालानी
   वर्तमान तहसीलदार
   धोरीमन्ना
2. किशनाराम पुत्र पांचाराम
3. भीखाराम पुत्र जोधाराम
4. सुखराम पुत्र जोधाराम
5. किशनाराम पुत्र जोधाराम
6. ठाकरा पुत्र हुकमा के कायम
   मुकाम
   6.1 सुजानाराम पुत्र
   ठाकराराम
   6.2 बुधराम पुत्र ठाकराराम
   6.3 चुनी पत्नी ठाकराराम
   6.4 सुरती पुत्री ठाकराराम
   6.5 पारू पुत्री ठाकराराम

जाति बिश्नोई निवासी गडरा
तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश ग्राम गड़रा के नामान्तरकरण सं. 175 स्वीकृति दिनांक 08.01.02 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स 2 से 6 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा गडरा के नामान्तरकरण सं. 175 पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2002 के

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जिस पर इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील को सारहीन होने से खारिज की गई। तदुपरांत अपीलांट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील पेश की गई, जिसमें अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार कर इस आधार पर निर्देशित किया गया कि प्रकरण राजस्व रेकर्ड एवं तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त कर, प्रकट तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त संबंध में यह अपील नंबर से दायर कर सुनवाई हेतु ली गई।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा गडरा के खसरा नम्बर 81, 81/2, 327, 337, 297, 325, 326 रकबा क्रमशः 34–10, 02–10, 33–02, 02–00, 102–05, 00–02, 00–04 बीघा कुल रकबा 174–13 बीघा भूमि पांचा, जोधा, ठाकरा, करना पि0 हुकमा कौम बिश्नोई साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त भूमि का पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कराये जाने पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांक राजस्व/2002/465 दिनांक 08.01.2002 की पालना में हल्का पटवारी धोरीमन्ना द्वारा नामान्तरकरण सं. 175 दायर कर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 08.01.2002 को ही स्वीकृत कर लिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.07.17 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जाशुदा भूमि में उत्तरदाता सं. 1 के पिता मुतवफी पांचा एवं उत्तरदाता सं. 2 से 4 के पिता जोधाराम द्वारा षडयंत्र पूर्वक एक सहमति बंटवाड़ा लिखवाकर उस पर अपीलांट की जानकारी में लाये बिना ही अपीलांट का फर्जी अंगुठा लगाते हुए तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार गुड़ामालानी को गुमराह कर खेतों का विभाजन का आदेश प्राप्त कर लिया एवं इसी के आधारा नामान्तारकरण सं. 175 पारित करवा लिया। अपीलांट वृद्ध, ग्रामीण व अशिक्षित व्यक्ति हैं जिसे उक्त समस्त कार्यवाही का ज्ञान नहीं था वर्तमान में

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

राजस्व लोक अदालत के केम्प आयोजित किये जा रहे हैं तब अपीलांट ने अपनी खातेदारी के खेत को अलग कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब कहा गया कि वादग्रस्त खेतों का विभाजन पूर्व में हो चुका हैं। इस पर उक्त विभाजन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु दिनांक 27.06.2017 को तहसील कार्यालय गुड़ामालानी में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर यह कहा गया कि उक्त विभाजन पत्र चार्ज में नहीं दिया गया, इसलिए प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती हैं। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 10.07.2017 को होने से यह अपील अंदर मयाद प्रस्तुत की गई हैं तथा विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही जारी किया गया हैं तथा अपीलांट के कब्जे–काश्त की भूमि रेस्पोडेंट सं. 3से5 के स्वामित्व में दर्शा दी गई हैं तथा रेस्पोडेंट सं. 3से5 की भूमि अपीलांट के स्वामित्व में दर्ज कर दी हैं। ऐसी स्थिति में उक्त सहमति विभाजन को निरस्त किया जाकर अपीलांट के कब्जे एवं काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेखों एवं लट्ठा ट्रेस में आवश्यक तरमीम करवाना न्यायोचित हैं। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2002 निरस्त फरमाया जावें तथा वादग्रस्त खेतों की भूमि पर अपीलांट के कब्जे–काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेखों मे आवश्यक इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 2 से 6 के अधिवक्ता द्वारा इकबाली जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर संपूर्ण खसरों यथा 81, 81/2, 327, 337, 297, 325, 326, 269, 271 मौजा गडरा व नेडीनाडी के आदेश 465/2002 दिनांक 08.01.2002 आपसी सहमति से विभाजन का नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर नए सिरे से पुनः विभाजन किए जाने एवं पुरानी स्थिति को बहाल किए जाने हेतु निवेदन किया है।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा गडरा के खसरा नम्बर 81, 81/2, 327, 337, 297, 325, 326 रकबा क्रमशः 34–10, 02–10, 33–02, 02–00, 102–05, 00–02, 00–04 बीघा कुल रकबा 174–13 बीघा भूमि पांचा, जोधा, ठाकरा, करना पि0 हुकमा कौम बिश्नोई साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त भूमि का पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन कराये जाने पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश क्रमांक राजस्व/2002/465 दिनांक 08.

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

01.2002 की पालना में हल्का पटवारी धोरीमन्ना द्वारा नामान्तरकरण सं. 175 दायर कर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 08. 01.2002 को ही स्वीकृत कर लिया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 08.01.2002 के विरूद्ध यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की हैं अर्थात् मूल विभाजन आदेश के विरूद्ध न होकर इसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट की इस अपील में मुख्य आधार यह हैं कि आलौच्य विभाजन के द्वारा उसके कब्जे की भूमि रेस्पोडेंट की खातेदारी में दर्ज कर दी गई हैं जबकि विभाजन पत्र की प्रमाणित प्रति जो तहसीलदार धोरीमन्ना से मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई हैं, के अनुसार विभाजन अपीलांट द्वारा अभिकथित कब्जे–काश्त अनुसार ही हुआ था एवं इसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण सं. 175 की पुश्त पर अंकित विभाजन नक्शा में भी अंकन सही किया गया हैं किन्तु इसका जब नक्शा लट्ठा ट्रैस में अंकन किया गया तब खसरा नम्बर 81 के स्थान पर खसरा नम्बर 81/3 एवं खसरा नम्बर 81/3 के स्थान पर 81 अंकित कर दिया हैं तथा इससे राजस्व नक्शा एवं मौका कब्जा की स्थिति में भिन्नता आ गई हैं जिसे रेस्पोडेंट्स ने भी स्वीकार किया हैं एवं पक्षकारान ने सहमति से उक्त दुरूस्ती कराये जाने का निवेदन किया हैं। पूर्व में अप्रार्थीगण उक्त अपील से सहमत नहीं थे, परंतु अब अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के इकबाली जवाब अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 175 दिनांक 08.01. 2002 को अपास्त किया जाता है। इसके साथ वर्तमान तहसीलदार धोरीमन्ना को इस आधार पर रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित भूमि का नामान्तरकरण नये सिरे से स्वीकृत बंटवाड़ा दिनांक 08.01.2002 अनुसार कर रेकर्ड में अमलदरामद करें।

8. निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह सांखला)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते